

10 12/25

फ्रावली पैरा हुई। पञ्जलाय उप।

मूल प्रार्थना फ्र धारा 177 RTA स्वीकार हो चुका है
जिससे उक्त T.I. प्रार्थना फ्र का कोई औचित्य नहीं
रह जाये से उक्त T.I. प्रार्थना फ्र खारिज किया जाता है
फैसल शुमार टैकर नम्बर से कम है।



सहायक क्लर्क एवं पदेन
उपस्थित अधिकारी, बाली

दिना